Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

अपील/डिक्री/11142/2002/चित्तौडगढ

1. फूल सिंह 2. कन्हैया 3.ताराचन्द पुत्रान श्री बिहारी जाति माली निवासी ग्राम मंढा तहसील तिजारा जिला अलवर
4. फूलवती पुत्री बिहारी पत्नी मामचन्द जाति माली निवासी नारनोल
5. शकुन्तला पुत्री बिहारी पत्नी हंसराज
6. विद्या पुत्री बिहारी पत्नी दाताराम दोनों जाति माली निवासी कोटकासिम तहसील कोटकासिम

अपीलार्थी

बनाम

प्रभाती पुत्र मक्खन जाति माली निवासी ग्राम मंढा तहसील तिजारा जिला अलवर

रेस्पोडेन्ट्स

खण्ड पीठ

श्री मोहन लाल नेहरा सदस्य
श्री धूकलराम कसवां सदस्य

उपस्थित
श्री खडग सिंह अभिभाषक अपीलार्थी
श्री जगदम्बा प्रसाद अभिभाषक प्रत्यर्थी

निर्णय

दिनांकः 23.5.2018

1. यह अपील भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के निर्णय व डिक्री दिनांक 3-9-02 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीगण वादीगण ने प्रत्यर्थीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद पत्र में अंकित आराजी के बाबत एक वाद अधिनियम की धारा 88,89 व 188 के अन्तर्गत सहायक कलेक्टर तिजारा के न्यायालय में प्रस्तुत किया जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 6–6–2000 के द्वारा वाद को डिक्री किया। जिसके विरुद्ध प्रत्यर्थी संख्या 1 ने भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 3–9–02 के द्वारा अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 6–6–2000को निरस्त कर दिया। इससे व्यथित होकर यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3. उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील पर सुनी गई।

4. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा कायम की गई किसी भी तनकी का निर्णय किये बिना गैर कानूनी तौर पर विपक्षी की अपील को स्वीकार करने में विधिक भूल की है और पारित निर्णय आदेश 41 नियम 31 जाब्ता दीवानी के प्रावधानों के विपरीत है। विवादित आराजी के बाबत पूर्व में दिनांक 31–10–63 को दावा दायर किया गया था जिसमें दिनांक 12–8–64 को निर्णय हुआ और वह निर्णय समझौते के आधार पर था। समझौते के अनुसार खसरा नम्बर 320 में पूर्व की ओर प्रभाती को पश्चिम की ओर अपीलार्थीगण को कब्जा दिलाया गया। मुरली अपीलार्थीगण का भाई है जो ला औलाद फौत हो गया जिसकी आराजी अपीलार्थीगण में निहित हो गई।पहले वाले दावे के इजराय की आवश्यकता नहीं थी। रेकार्ड में नाम दर्ज नहीं होने से घोषणा का दावा प्रस्तुत किया था। इसलिये रेसजुडिकेटा का सिद्धान्त लागू नही होता है। जमाबन्दी सम्बत 2020 में आराजी खसरा नमबर 302 रकबा 4 बीघा 17 विस्वा में मुरली को दखल दिया गया है। इसलिये प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 6–6–2000 को बहाल रखा जावे।

5. प्रत्यर्थी के विद्वान अभिभाषक ने प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री को विधिसम्मत बताते हुये अपील खारिज करने का निवेदन किया और तर्क प्रस्तुत किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलार्थीगण का कब्जा नहीं है बल्कि प्रत्यर्थी बतौर खातेदार काश्तकार काबिज है। समस्त राजस्व रेकार्ड में प्रत्यर्थी का नाम अंकित है। पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 12-8-64 समझौते के आधार पर होना बताते हैं किन्तु इस सम्बन्ध में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया है। उक्त निर्णय की कोई इजराय भी नहीं कराई गई थी जबकि इजराय कराने की अवधि निर्णय से 12 वर्ष होती है जो निकल चुकी है। घोषणा का दावा बिना कब्जे के चलने योग्य नहीं है।

6. हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

7. विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य नकल जमाबन्दी सम्बत 2036 व 2039 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विवादग्रस्त आराजी प्रत्यर्थी प्रभाती पुत्र मक्खन की खातेदारी में दर्ज है और जमाबन्दी सम्बत 2017 से 2019 में उक्त आराजी प्रत्यर्थी के पिता मक्खन की खातेदारी में दर्ज है। काश्त के कालम में मुरली पुत्र जालम माली नाजायज कब्जा लिखा हुआ है। जमाबन्दी सम्बत 2020 के कृषक के कालम में यह अंकित है कि''मुरली पुत्र जालम माली साकिन देह मुताबिक हुक्म तहसील दिनांके 4-3-63 मुरली को 6-3-63 को दखल दिया गया'' उप जिला कलेक्टर के आदेश दिनांक 12-8-64 के द्वारा प्रभाती एवं मुरली ने समझौता के जरिये विवादित आराजी का 1/2-1/2 हिस्सा खातेदारी में अंकित किया गया। नकल जमाबन्दी सम्बत 2041 में विवादग्रस्त भूमि का खातेदार प्रत्यर्थी प्रभाती दर्ज है। विचारण न्यायालय द्वारा दावा एवं जबाब दावा के आधार पर दो तनकीयात कायम की गई हैं। प्रथम तनकी यह कायम की गई है कि विवादित आराजी पश्चिम दिशा का रकबा 2 बीघा 8 विस्वा के वादी खातेदार काबिज हैं? प्रथम तनकी को निर्णित करने का आधार प्रभाती एवं मुरली के बीच चले वाद के निर्णय दिनांक 12-8-64 को बनाया है। उक्त निर्णय की इजराय अपीलार्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में नहीं कराई गई है। इन्हीं पक्षकारों कें बीच में जो दावा चला था उसका निर्णय भी हो चुका था।ऐसी स्थिति में दूसरा दावा रेसजुडिकेंटा के सिद्धान्त के आधार पर नहीं लाया जा सकता था। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत गवाहान ने वादग्रस्त आराजी पर प्रत्यर्थी का कब्जा बताया है

इसलिये कब्जे के बिना भी दावा चलने येाग्य नहीं था। इसके अतिरिक्त विधि अनुसार धारा 188 के दावे में सहमति से भी हकों की घोषणा नहीं की जा सकती। उक्त तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुये प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय व डिक्री को निरस्त करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी द्वारा उठाये गये तर्को में कोई सार नहीं होने से यह अपील खारिज किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(धूकलराम कसवां)
सदस्य

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य